

MANUAL – 6**SEC 4. (1) (b) (vi) A STATEMENT OF THE CATEGORIES OF DOCUMENTS THAT ARE HELD BY IT OR UNDER ITS CONTROL**

The documents held by this organization are :

S. No.	Category	Subject of the document
1.	Development of Textile Industry	<p>Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)</p> <p>A flagship scheme of the Ministry of Textiles, Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) was introduced in 1999 to catalyze investments in all the sub-sectors of textiles and jute industry for technology upgradation of the machinery by way of 5% interest reimbursement. The scheme was initially approved from 01.04.1999 to 31.03.2004. Subsequently, the scheme was extended in 2004 and again in 2007 with modifications. The Scheme was suspended between 29.06.2010 and 27.04.2011. The total investment catalyzed upto 2010 is Rs.2,07,747 crore.</p> <p>The Restructured TUF Scheme (RTUFS)</p> <p>The Restructured TUF Scheme (RTUFS) was launched w.e.f. 28/04/2011 to 31/03/2012 with an overall subsidy cap of Rs. 1972 crores from the date of the Resolution up to 31.03.2012, which was expected to leverage an investment of Rs.46,900 crore, with sectoral investment shares of 26% for spinning, 13% for weaving, 21% for processing, 8% for garmenting and 32% for others. Since the earmarked subsidy cap of Rs.1972 crores was not fully utilized and to avoid any hiatus as the 12th Plan TUFS proposals were not finalized, the Ministry of Textiles in accordance with Ministry of Finance, Department of Expenditure, Plan Finance - II Division clarificatory O.M. NO.1(3)/P.F.II/2011 dated 23.4.2012 allowed extension of R-TUFS into the first year of 12th Plan to the extent of availability of unutilized subsidy cap. The Restructured TUFS and its continuation in the 12th Plan has attracted an investment of Rs.37,513 crore.</p> <p>Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RR-TUFS).</p> <p>R-TUFS was extended for the first year of the 12th Plan, i.e. upto 31.03.2013. The Scheme was further continued in Revised Restructure form with effect from 01.04.2013 to 12.01.2016 and known as Revised Restructured Technology Up-gradation Fund Scheme (RRTUFS). The CCEA approved total fund allocation under TUFS for 12th Plan period of Rs.11952.80 crore. Further, in</p>

the Revised Restructured TUFs (RRTUFs), total subsidy outflow to standalone spinning sector was kept at 26% of plan allocation of Rs.11952.80 crore.

Amended TUFs (ATUFs)

The Amended Technology Up-gradation Fund Scheme (ATUFs) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFs during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are given in Guidelines of ATUFs issued vide Resolution No. 6/5/2015-TUFs dt. 29.02.2016.

The objective as given in the guidelines are given below:

To promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through “Make in India” with “Zero effect and Zero defect” in manufacturing.

To facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

The rates and overall subsidy caps are indicated below :

Every eligible individual entity will be paid Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUF Scheme, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated overleaf :

Sl. No	Segment	Rate of Capital Investment Subsidy (CIS)	CIS per individual entity
1.	Garmenting, Technical Textiles #	15% on eligible Machines	Rs.30 Crore*
2	Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving Preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom.	10% on eligible machines	Rs.20 Crore*
3(a)	(a) Composite unit/ Multiple Segments- If the eligible capital investment in respect of Garmenting & Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost.	15% on eligible machines	Rs.30 Crore*
3(b)	(b) Composite unit/ Multiple Segments- If the eligible capital investment in respect of Garmenting & Technical Textile category is less than 50% of the eligible project cost.	10% on eligible machines	Rs.20 Crore*

		<p>* In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for respective segments.</p> <p># In the meeting of the Union Cabinet held on 22.06.2016, under the Chairmanship of Prime Minister, additional incentives for textile and apparel sector has been approved. The additional incentives inter-alia cover providing production incentive through Technology Up-gradation Fund Scheme (TUFS) linked Capital Subsidy. The additional incentive to the garmenting sector has been notified vide Resolution No.6/18/2016-TUFS dated 25.07.2017 as Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS, in incentives production and employment generation in the garmenting sector (ITC NSN Code Chapter 61,62). As per the objective of the SPELSGU, to boost employment generation in the textiles sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for garmenting units which have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the achievements of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to that unit. The Scheme came into effect from the date of the Resolution of ATUFS i.e. 13.01.2016 till 31.03.2019.</p> <p>Further, on the lines of SPELSGU the benefit has been extended to made-ups manufacturing units under ATUFS. The same has been notified vide Resolution No.6/18/2016-TUFS dated 10.01.2017. As additional subsidy of 10% are provided to the made-ups units enhancing the cap to Rs.50 crore on the lines of SPELSGU under ATUFS based on achievement of the projected production and employment as given in the Detailed Project Report (DPR). The additional subsidy will be disbursed after a period of three years.</p>
--	--	--

Statewise UID issued under Amended TUFS (ATUFS) position as on 31.03.2022

Statewise Unique Identification Number(UID) issued under Amended TUFS(ATUFS) Position as on 31/03/2022					
State Name	No. of Application(Units) /cases	Total Project Cost (Cr.)	Provisional Subsidy Amount (Cr.)	New Employment Total	Existing Employment Total
ANDHRA PRADESH	35	775.23	31.47	8473	8996
ASSAM	1	10.79	0.41	59	0
BIHAR	5	118.33	8.94	280	39
CHATTISGARH	7	125.22	9.34	297	318
DADRA & NAGAR	161	1300.18	100.55	5718	15814
DAMAN & DIU	32	183.09	11.35	727	3222
DELHI	32	54.58	5.73	337	2562
GUJARAT	7893	28868.13	2207.42	90187	81594
HARYANA	635	3425.48	283.09	28974	231605
HIMACHAL PRADESH	23	173.42	13.17	630	2986
JHARKHAND	12	482.28	36.62	9902	6304
KARNATAKA	158	2594.69	186.02	44060	54503
KERALA	12	63	3.25	663	2798
MADHYA PRADESH	136	2195.79	129.82	7825	12575
MAHARASHTRA	1729	8489.89	576.15	26724	54850
ORISSA	3	122.9	2.19	2522	9950
PUNJAB	1053	2691.86	204.53	16298	121526
RAJASTHAN	420	3825.96	207.95	11860	60738
TAMIL NADU	1405	8024.9	595.98	88661	519566
TELANGANA	30	1728.25	73.4	2866	1445
UTTAR PRADESH	378	2009.69	156.76	27302	106432
UTTARANCHAL	20	321.71	28	2405	2422
WEST BENGAL	212	1577.6	91.11	16519	41477
Grand Total	14392	69162.97	4963.25	393289	1341722

1. Revised Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme

Setting up Powerloom Mega Cluster create world-class infrastructure to integrate the production chain, to fulfill the business needs of the local Small and Medium Enterprises (SMEs) and to boost production and export etc.

		<p>Interventions will be provided directly to existing weaving units or to an SPV with private equity participation depending on needs of the cluster. Government grant/equity would be provided with the expectation of matching investment by the industry in the ratio of 60:40 :: Government : Private. That is Rs.60 crore by Government grant would be required to mobilize a matching investment of Rs.40 crore in the project, however, based on need/financial closure, the ratio may be varied with approval of the PAMC for individual components by exercise of flexibility within this overall ratio of investment.</p> <p>1. The following components of the project will be eligible for funding under the scheme, within the overall limit of the grant in the cluster:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Common Facility Centres (CFCs) for pre and post loom weaving processing. (ii) Mini-Industrial Parks with Worksheds supported by Core Infrastructure (iii) Innovative Ideas and other need-based interventions (iv) Technology Upgradation (v) Skill Development.
2.	Regulatory	<p>The Hank Yarn Packing Notification, 2003, which was issued vide notification No.2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003, amended vide Notification No.7/TDRO/6/2019 dated 07.03.2019, by the Textile Commissioner, is continued to be in operation. Under the scheme every producer of obligatory variety of yarn is required to pack 30% of the same in hank form, provided 80% of such obligation is fulfilled in counts 80s & below. The Hank Yarn Packing Obligation is intended to ensure adequate supply of hank yarn at reasonable price to the handloom weavers. The Office of the Textile Commissioner through its Regional Offices monitors the fulfillment of Hank Yarn Obligation by the mills.</p>

मैनुअल-6

धारा 4(1)ख (vi)- इस संगठन के नियंत्रणाधीन या धारण किए गए विभिन्न वर्ग के दस्तावेजों का विवरण

इस संगठन द्वारा धारण किए गए दस्तावेज

क्र. सं.	वर्ग	दस्तावेज का विषय
1.	वस्त्र उद्योग का विकास	<p>प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि योजना (टप्स):-</p> <p>क. इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से वस्त्रोद्योग द्वारा बेंचमार्कड मशीनरी के लिए गए पात्र निवेश पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति करती है ।</p> <p>ख. विद्युत करघा उद्योग के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में 20% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी : इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार बेंचमार्कड विद्युत करघा में निवेश पर 20% पूंजीगत सहायिकी [कैपिटल सब्सिडी] प्रदान करती है । प्रति लघु इकाई उद्योग के लिए 20 लाख सब्सिडी राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है ।</p> <p>(ग) विनिर्दिष्ट आधुनिक वस्त्र संसाधन मशीनरी में निवेश हेतु 10% पूंजीगत सहायिकी [कैपिटल सब्सिडी] जो कि तकनीकी उन्नयन निधि योजना में 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी ।</p>
2.		<p><u>वस्त्र केन्द्र आधारिक संरचना विकास योजना : -</u></p> <p>इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार में पहचान किए गए वस्त्र केन्द्रों आधारिक संरचना जैसे कि सड़कों का निर्माण, परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सामूहिक निस्सारण उपचार संयंत्र सुविधाएं, प्रदर्शनी विपणनन हाल, पावर सप्लाई का सुदृढीकरण, जल आपूर्ति और मैल निकासी, दूर</p>

संचार नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं, डिजाइन केन्द्रों की स्थापना,वेयरहाउसिंग सुविधाओं में सुधार, बंदरगाह और हवाई अड्डोंवक वस्तुओं के संचलन की सुविधाओं में सुधार, अन्तः स्थलीय कन्टेनर डिपो, एयर कार्गो काम्पलेक्स आदि, परिवहन सुविधाओं का सर्वधन, विशेष रूप से डिक्न्जेशन के लिए, मानव संसाधन में सुधार हेतु सुविधाएं और वस्तु परिधान इकाइयों के लिए शिशुसदन बिल्डिंग के लिए 20 करोड़ सहायिकी/निधियन राशि उद्दिष्ट की है ।

निर्यात हेतु एपेरल पार्क :- इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार प्रत्येक पहचान किए गए निर्यात एपेरल पार्क के लिए अधिकतम 17 करोड़ अनुदान राशि प्रदान करती है, जिससे क एपेरल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिल सके और अंतर राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के एपेरल निर्माण इकाइयों की स्थापना के केन्द्रीभूत दिया जा सके ।

ग्रुप वर्कशेड योजना

विकेन्द्रित पावरलूम बुनाई उद्योग की ग्रुपवर्कशेड योजना के अर्न्तगत भारत सरकार वर्कशेड के निर्माण हेतु इसके वर्कशेड को अधिकतम रू. 80 प्रति स्कवेयर फीट के आधार पर निर्माण लागत का 25% तक राशि की सब्सिडी प्रदान करती है । अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी प्रति लाभार्थी रू. 11.52 लाख है जिससे कि 14,400 स्कवेयर फीट क्षेत्रफल कवर हो सके ।

2. पावरलूम उद्योग का विकास टप्स , टी सी आई डी एस, जी डब्ल्यू एस एस-ब्योरे उपरोक्तानुसार
3. वस्त्रोद्योग से संबंधित:-कारागारों का समाज कल्याण सामूहिक बीमा योजना-- पावरलूम वर्करस के लिए (जी आई एस) सामूहिक बीमा योजना के अर्न्तगत दो-पृथक घटक है (जे बी वाई) और एड ऑन जी आई एस । जी बी बाई के अर्न्तगत 200 रू. के कुल प्रीमियत के लिए 100 रू. जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाएगा । भारत सरकार 60 रू. का भुगतान करेगी एवं लाभार्थी का योगदान कुल प्रीमियम में 40 रू. रहेगा । जी बी वाई योजना के अर्न्तगत क्वरेज लाभ स्वाभाविक मृत्यु के लिए 20,000 रू., आकास्मिक मृत्यु के लिए 50000 रू. स्थायी अपंगता रू. 50000 और आंशिक स्थायी अपंगता के लिए 25000 रू हैं, जिसे मामले के अनुरूप निर्धारण किया जाता है । एड ऑन सामूहिक बीमा योजना के अर्न्तगत कुल 180 रू. प्रीमियम में से, 90रू. का योगदान भारत सरकार का और लाभार्थी द्वारा शेष 90 रू का भुगतान किया जाएगा । एजी आई एस योजना के अर्न्तगत क्वरेज लाभ स्वाभाविक मृत्यु या आकास्मिक मृत्यु के लिए 30000 रू है । उपरोक्त के अतिरिक्त जी बाई वाई के अर्न्तगत प्रत्येक कामगार के 9वीं से 12वीं कक्षा के पढ़ने वाले दो बच्चों की जीवन बीमा निगम की शिक्षा सहयोग योजना के तहत प्रत्येक बच्चें हेतु प्रत्येक तिमाही में 300/-रू. शैक्षिक अनुदान के हकदार होंगे । पावरलूम के कामगार और स्व-रोजगार

बुनाई कामगार जिनकी पावरलूम 4 से अधिक न हो व जिनकी आय गरीबी-रेखा से नीचे हो या गरीबी रेखा के हाशिए पर हों, इन कामगारों के 18-19 आयु-वर्ग के बच्चों को योजना के अर्न्तगत पास माना जाएगा । इस योजना के अर्न्तगत परिवार के दायरे में कामगार और उसका /उसकी पत्नी या पति शामिल हैं । और इन दोनों में से केवल एक व्यक्ति को योजना के अर्न्तगत बीमा सुरक्षा कवच दिया जाएगा ।

वस्त्र कामगार पुनर्वसन निधि योजना :- वस्त्र कामगार पुनर्वसन निधि योजना के अर्न्तगत प्राइवेट सेक्टर के स्थायी रूप से बंद पड़ी/परिसमापन हुई वस्त्र इकाइयों की राहत प्रदान की जाती है । यह योजना औद्योगिक विकास और विनियम, अधिनियम, 1951 के अर्न्तगत लाइसेंस प्राप्त या वस्त्र आयुक्त द्वारा मध्यम स्केल यूनिट के रूप में पंजीकृत इकाइयों पर लागू होती है । इकाइयों संपूर्णतः बन्द होनी चाहिए, यानि इसकी उत्पादन-प्रक्रिया 5.6.85 के बाद पूर्णतः ठप हो गई होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त ऐसे यूनिट को उद्योग विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (0) के अर्न्तगत बंद यूनिट घोषित होने चाहिए या विकल्पतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत यूनिट के समापन हेतु सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया होना चाहिए । वस्त्र कामगार पुनर्वसन निधि योजना भी आंशिक रूप से बंद पड़ी इकाइयों के लिए मामले के आधार पर लागू योजना के अधीन पात्र कामगार निम्नलिखित दर पर राहत के भुगतान के हकदार होंगे :

- (क) यूनिट के पहले वर्ष में पड़ने की अवधि में 75% मजदूरी के समतुल्य राशि
- (ख) दूसरे वर्ष में मजदूरी की 50% समतुल्य राशि
- (ग) तीसरे वर्ष में मजदूरी की 25% समतुल्य राशि

4. सांख्यिकी आंकड़े कांटन जिनिंग और प्रेसिंग अधिसूचना, वस्त्र सांख्यिकी विवरणी अधिसूचना दिनांक 26.12.95, वस्त्र सांख्यिकी का सार-संग्रह-2004 (किताब के रूप में उपलब्ध है) और अंतरराष्ट्रीय वस्त्र सांख्यिकी-2004 (किताब की रूप में उपलब्ध है)
5. विनायमक
1. वस्त्र (विकास और विनियम) आदेश, 2001, वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनिवार्य पर्य्य अधिनियम, 1955, की धारा 3 के द्वारा जारी आदेश जिससे वस्त्र उद्योग द्वारा सूचना के प्रेषण किया जा सके, वस्त्रों के उत्पादन और आपूर्ति का विनियामित किया जा सके और वस्त्र पर मार्किंग निर्धारित की जा सके ।
 2. हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना 2003- इस अधिसूचना के अर्न्तगत यार्न के प्रत्येक उत्पादक सिविल खपत के लिए पैक किए गए कम से कम 40%, यार्न की पैकिंग प्रत्येक तिमाही के लिए हैंक (अट्टियों) के रूप में करेगा । हैंक रूप में पैक किए गए यार्न का 80% की संख्या 40 या इससे कम होनी चाहिए । अगर यार्न का उत्पादक इसकी पैकिंग हैंक रूप में करने में असमर्थ हो तो अपने दायित्व को अन्य उत्पादक को सौंप कर कार्य संपादित करेगा अन्यथा स्वतंत्र शीलिंग इकाइयों के धारक उत्पादक / या शीलिंग सुविधा मुक्त उत्पादक से यार्न को हैंक रूप में रील करवाएगा ।
 3. वस्त्र (उपभोक्ता सुरक्षा) विनियम 1988- इस अधिसूचना के अर्न्तगत कांटन यार्न, कांटन क्लोथ और वूलन क्लोथ या उनके पैकेज/ बेलों पर की जाने के लिए सांविधिक मार्किंग निर्धारित की गई है जिससे वस्त्रों के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा

सके ।

4. कांटन (नियंत्रण) आदेश, 1986, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों द्वारा कांटन के स्टांक के नियंत्रण, कांटन वेल की पैकिंग का तरीका और सूचना एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है ।

